

## कार्यालय: जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर (राजस्थान)

क्रमांक : स्था0 / 2014 / 215

दिनांक : 15.07.2014

—: विज्ञप्ति :-

भरतपुर न्यायक्षेत्र में वाहन चालक के अस्थाई एक पद पर राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 के अन्तर्गत चालू पे बैण्ड (PB-1) 5200-20200+ग्रेड पे 2400/-रुपये में उक्त नियम, 2008 के नियम 21 व राजस्थान सरकार के संशोधित आदेश संख्या एफ.14(1) एफ.डी. (नियम)/2013-II दिनांक 28.06.2013 के तहत दो वर्ष तक की प्रोबेशन अवधि में नियत पारिश्रमिक 7900/-रुपये प्रतिमाह अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत पारिश्रमिक पर भर्ती/नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र इस विज्ञप्ति में दी गयी शर्तों एवं निर्धारित नियमों के अनुसार आमंत्रित किये जाते हैं। वाहन चालक का उक्त पद अनारक्षित है। रिक्त पद का निर्धारण व Categorywise वर्गीकरण पूर्णतया Tentative है व इसमें कमी या वृद्धि की जा सकती है। उपरोक्त वाहन चालक के पद हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों के लिये निम्नलिखित आवश्यक योग्यता होना आवश्यक हैं तथा इन पर निम्न शर्तें लागू होगी :-

01. राष्ट्रीयता : आवेदक भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक होने हेतु अर्हता प्राप्त हो। (नियम 8)

02. आयु : आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2015 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। इसके अलावा राज्य कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, विधवा व तलाकशुदा महिलाओं आदि को इस सम्बन्ध में वांछित प्रमाण पत्र पेश करने पर नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट देय होगी।

03. शैक्षणिक योग्यताएँ :

उक्त पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को किसी राजकीय एवं राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल से कम से कम 08वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिये तथा देवनागरी लिपी में हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिये।

04. ड्राइविंग लाइसेन्स :

वाहन चालक के पद के लिये आवेदन करने वाले आवेदक के पास भारी एवं हल्का वाहन चलाने का वैध तथा प्रभावी ड्राइविंग लाइसेन्स होना आवश्यक है। इसके अलावा आवेदक को वाहन चलाने का वाहन चालक के रूप में तीन वर्ष या उससे पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है।

05. चरित्र :

1. आवेदक को दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे जो उसके रिश्तेदार नहीं हो। उक्त उत्तरदायी व्यक्तियों के दोनों चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से छः माह से पूर्व के नहीं होने चाहिये।
2. प्रत्येक आवेदक आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया जाकर दंडित नहीं किया गया है एवं उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई दण्डित मामला न्यायालय में लंबित नहीं है और यदि लंबित है तो उसका विवरण शपथ पत्र में अंकित करेगा।

06. शारीरिक व चालक की अन्य योग्यतायें :

1. आवेदक का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये व ऐसा मानसिक एवं शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिये जो उनके सेवा के सदस्य के रूप में अपना कर्तव्य दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधक हो। चयन होने पर अधिसूचित चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. आवेदक का वजन 65 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिये।
3. आवेदक की दृष्टि चश्मा अथवा बिना चश्मा के 6 X 6 होनी चाहिये।
4. आवेदक को मार्ग में वाहन की मरम्मत की जानकारी, वाहन चलान में दक्षता होनी चाहिये तथा वाहन का साधारण तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है।

07. संतान सम्बन्धी सूचना : ऐसा कोई भी आवेदक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसकी दो से अधिक संतानें हैं, परन्तु इन नियमों की प्रारम्भ की तारीख को दो से अधिक संतानों वाले आवेदक को निरर्हित नहीं समझा जायेगा। जहां किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव

से एक ही सन्तान है, किन्तु पश्चात्पूर्वी किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती है वहां सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई सन्तानों को एक इकाई समझा जायेगा, परन्तु दिनांक 01.06.2002 से 280 दिन के भीतर किसी सन्तान का जन्म निरर्हता नहीं होगी। विवाहित आवेदक को उपरोक्त अनुसार दो से अधिक संतान नहीं होने से निरर्हित नहीं होने का घोषणा का आवेदन के संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।

08. विवाह पंजीयन : आवेदक के विवाहित होने की दशा में आवेदन पत्र में पति/पत्नी के नाम का उल्लेख किया जावेगा तथा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति या आवेदक का विवाह पंजीयन नहीं होने की स्थिति में उसे आवेदन पत्र के संलग्न प्रारूप-6 में 10/- रुपये के नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

09. पेंशन योजना एवं स्थाई पारितोषण: नियुक्ति के पश्चात आवेदक के द्वारा परीवीक्षा अवधि पूरी करने पर राज्य सरकार की नवीन अंशदायी पेंशन योजना, मेडिकल अटेन्डेन्ट्स रूल्स, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि एवं स्थाई पारितोषण आदि के सभी नये नियम लागू होंगे।

10. आवेदन पत्र: आवेदक को सादा कागज पर पासपोर्ट साइज का फोटोयुक्त अपना आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, उसके पिता का नाम, जाति, स्थाई पता, वर्तमान पता, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, राष्ट्रियता तथा आरक्षित वर्ग के नाम का उल्लेख हो। आवेदन पत्र के अंत में दिनांक सहित आवेदक के हस्ताक्षर होने चाहिये। यदि आवेदक वर्तमान में कहीं सेवारत हो तो उसका आवेदन पत्र में उल्लेख करें। राजकीय सेवारत कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से आवेदन पत्र प्रेषित करें। अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा और उसकी पृथक से कोई सूचना प्रेषित नहीं की जावेगी।

11. आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि : सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र दिनांक 07.08.2014 को सांय 5.00 बजे तक "कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायालय, भरतपुर (राज0)" में आवश्यक रूप से पहुंच जाने चाहिये।

12. साक्षात्कार एवं ट्रेड टेस्ट :

आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक जिन आवेदकों के आवेदन पत्र बाद जांच सही पाये जायेंगे उन आवेदकों की सूची दिनांक 18.08.2014 को इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी तथा इन आवेदकों का साक्षात्कार व ट्रेड टेस्ट दिनांक 31.08.2014 को प्रातः 11.00 बजे से पुलिस परेड ग्राउण्ड, न्यू सिविल लाईन, भरतपुर में लिया जावेगा, जिसकी सूचना पृथक से किसी भी आवेदक को प्रेषित नहीं की जावेगी और न ही इस साक्षात्कार व ट्रेड टेस्ट के लिये उपस्थित होने हेतु किसी आवेदक को कोई यात्रा भत्ता आदि देय होगा। उपरोक्त साक्षात्कार व ट्रेड टेस्ट तिथि व स्थान में कोई परिवर्तन किये जाने की स्थिति में साक्षात्कार व ट्रेड टेस्ट तिथि के एक दिन पहले या इससे पूर्व इसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर लगा दी जावेगी और इसकी जानकारी करने की जिम्मेदारी आवेदक स्वयं की होगी व इस बाबत आवेदक को पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी। आवेदक जिन प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें उन सभी मूल प्रमाण पत्रों को साक्षात्कार के समय साथ लेकर आवे।

इस विज्ञप्ति में बताये अनुसार वांछित प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियां एवं शपथ पत्र आदि आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे। आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर आवेदक को अपना पासपोर्ट साइज का फोटो लगाकर उस पर हस्ताक्षर करने होंगे व किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराना होगा। आवेदन पत्र पर आवेदक को दिनांक सहित अपने हस्ताक्षर करने होंगे। आवेदक के द्वारा उपरोक्त अनुसार वांछित प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियां व शपथ पत्र आदि संलग्न किये बिना व उपरोक्त अनुसार पूर्ण पालना किये बिना आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अथवा आवेदन पत्र में अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त किया जा सकेगा।

उपरोक्त नियत अन्तिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और ये आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे व इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जावेगी। अभ्यर्थी को प्रार्थना पत्र के साथ निम्न दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी :-

(A) सत्य प्रतिलिपि

1. जन्म तिथि सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रति

2. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
3. आरक्षण/आयु सीमा में छुट चाहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के आवेदको के जाति प्रमाण पत्र।
4. विधवा महिला के पति की मृत्यु बाबत सक्षम अधिकारी से प्राप्त मृत्यु प्रमाण पत्र व तलाकशुदा महिला के विवाह विच्छेद की सक्षम न्यायालय से पारित विवाह विच्छेद की डिक्री अथवा प्रमाण पत्र।
5. आवेदक के द्वारा जिस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय में अन्तिम शिक्षा प्राप्त की उसके प्रधानाचार्य/शैक्षणिक अधिकारी के द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र
6. वाहन चालक के रूप में अनुभव का प्रमाण पत्र
7. ड्राइविंग लाईसेन्स की सत्य प्रति
8. आवेदक का वाहन चालन हेतु शारीरिक रूप से सक्षम होने व उसकी दृष्टि चश्मा अथवा बिना चश्मा के 6 X 6 होने बाबत सक्षम चिकित्साधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

(B) मूल प्रमाण पत्र

1. चरित्र के सम्बन्ध में दो उत्तरदायी व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण पत्र

(C) शपथ पत्र

1. विवाहित आवेदक के द्वारा विवाह के समय दहेज नहीं लेने का प्रमाणित शपथ पत्र (10/-रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)
2. विवाहित आवेदक को दो से अधिक संतान नहीं होने से निरर्हित नहीं होने बाबत आवेदन पत्र के संलग्न प्रारूप में प्रमाणित शपथ-पत्र
3. विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि अथवा आवेदन पत्र के संलग्न प्रारूप-6 में प्रमाणित शपथ-पत्र

(D) पांच-पांच रूपये के डाक टिकट लगे हुए आवेदक के स्वयं के पूर्ण पते सहित 10 X 24 सेमी आकार के दो लिफाफे

नोट: उपरोक्त सभी प्रलेख तथा प्रमाण पत्र आदि की सूची आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र के पीछे क्रमवार लिखनी होगी व इसके नीचे अपने हस्ताक्षर करने होंगे।

रोल नम्बर, साक्षात्कार स्थल, परिणाम व साक्षात्कार व ट्रेड टेस्ट तिथि में परिवर्तन की सूचना आदि, यदि कोई हो, की सूचनायें उक्त अनुसार समय-समय पर नोटिस बोर्ड एवं <http://ecourts.gov.in/bharatpur> पर लगायी जावेगी। पृथक से किसी आवेदक को सूचित नहीं किया जावेगा।

-Sd-

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
भरतपुर

क्रमांक: स्था0 / 2014 / 5981-6070

दिनांक: 15.07.2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर
3. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, .....
4. समस्त अधीनस्थ न्यायालय, भरतपुर न्याय क्षेत्र
5. जिला कलेक्टर, भरतपुर
6. जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर
7. जिला नियोजन अधिकारी, भरतपुर
8. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, भरतपुर
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिलाधीश कार्यालय, भरतपुर को भरतपुर जिले की Website पर अपलोड किये जाने हेतु
10. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, भरतपुर को इस न्यायालय की Website पर अपलोड किये जाने हेतु
11. नोटिस बोर्ड / रक्षित पत्रावली

-Sd-  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
भरतपुर